



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2314]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 2012/अग्रहायण 9, 1934

No. 2314]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2012/AGRAHAYANA 9, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2012

का.आ. 2808(अ).—औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा केंद्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, मुम्बई में :—

- (1) श्रीमती मानसी एम. पटेल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I
- (2) श्रीमती सयाली उमेश वाडें, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-II

को पूरे भारत के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के औषधों को छोड़कर सभी श्रेणियों के औषधों के संबंध में सरकारी विश्लेषक नियुक्त करती है, अर्थात् :—

- (1) सीरा
- (2) इंजेक्शन के लिए अभिप्रेत सीरम प्रोटीन का घोल
- (3) वैक्सीन
- (4) टॉक्सिन
- (5) एंटीजन
- (6) एंटीटॉक्सिन
- (7) विसंक्रमित शल्य चिकित्सीय पट्टी एवं विसंक्रमित सीवन
- (8) बैक्टीरियोफेज
- (9) पशुचिकित्सीय इस्तेमाल के लिए सीरा-रोधी
- (10) पशुचिकित्सीय इस्तेमाल के लिए वैक्सीन
- (11) पशुचिकित्सीय इस्तेमाल के लिए टॉक्सॉयड

- (12) पशुचिकित्सीय इस्तेमाल के लिए नैदानिक एंटीजन
- (13) बीडीआरएल एंटीजन
- (14) मानव रक्त तथा मानव रक्त उत्पाद
- (15) ह्यूमन इम्म्युनोडिफिसियंशी वाइरस, हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन तथा हेपेटाइटिस सी वाइरस के लिए रक्त समूहीकरण रिएजेंट तथा नैदानिक किट
- (16) कंडोम ।

[फा. सं. एक्स-11014/1/2012-डीसी/डीएफक्यूसी]

अरूण क. पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2012

S.O. 2808(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby appoints :—

- (i) Smt. Mansi M. Patel, Senior Scientific Officer Grade-I
- (ii) Smt. Sayali Umesh Warde, Senior Scientific Officer Grade-II

at the Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai to be the Government Analysts for the whole of India in respect of all classes of drugs except the classes of drugs mentioned below, namely:—

1. Sera.
2. Solution of Serum Proteins intended for injection.
3. Vaccines.
4. Toxins.
5. Antigens.
6. Anti-toxins.
7. Sterilized surgical ligature and sterilized suture.
8. Bacteriophages.
9. Anti-Sera for Veterinary use.
10. Vaccines for Veterinary use.
11. Toxoids for Veterinary use.
12. Diagnostic Antigens for Veterinary use.
13. VDRL Antigen.
14. Human Blood and Human Blood Products.
15. Blood Grouping reagents and diagnostics kits for Human Immunodeficiency Virus, Hepatitis B Surface Antigen and Hepatitis C Virus
16. Condoms.

[F. No. X.-11014/1/2012-DC/DFQC]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.